

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब	अप्रार्थी
रामदेवी पत्नी श्री श्री रामदेव	ना म	
राजस्व प्रार्थना-पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत 2		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 434 / 2021		GCMS No. 2021/507
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
27/11/2021	<p>प्रार्थी श्री श्री रामदेवी पत्नी श्री श्री रामदेव उम्र 60 पुत्र श्री वाराह</p> <p>जन्म तिथि 01/11/1956 निवासी चित्तवा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत चित्तवा</p> <p>ने एव प्रार्थना-पत्र पेश कर ग्राम चित्तवा पटवार मण्डल चित्तवा के खाता नम्बर 78 में प्रार्थी का नाम रामदेवी</p> <p>दर्ज है जो अशुद्ध है। प्रार्थी का शुद्ध नाम रामदेवी पति श्री वाराह है। साक्ष्य तौर पर प्रार्थी द्वारा परिवार राशन कार्ड नम्बर आधार नम्बर 724300287296 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छ या प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम रामदेवी पति श्री वाराह दर्ज है जो शुद्ध है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी चित्तवा भू.अ.नि चित्तवा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने प्रार्थी का नाम रामदेवी उम्र 60 पति श्री वाराह शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चित्तवा के खाता नम्बर 78 में प्रार्थी का नाम रामदेवी पति श्री वाराह के स्थान पर नाम रामदेवी पति श्री वाराह राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)</p> 	